रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4067] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 2018/आश्विन 20, 1940
No. 4067] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ASVINA 20, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5258(अ).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण), आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) (द्वित्तीय संशोधन) आदेश, 2018 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में, खंड 6 ग के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6 ग. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए समय सीमा:-

(1) खण्ड 6अ के स्पष्टीकरण 4 में निर्देशन के अनुसार प्रभावी कदम उठाने के लिए नियत समय तीन वर्ष का होगा और चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन खण्ड 6ख के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने की तारीख से पांच वर्षों के अन्दर आरम्भ करना होगा, ऐसा न करने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन उपखण्ड (2) में दी गई व्यवस्था के अनुसार अमान्य समझा जाएगा, और उसके अन्तर्गत जमा कराई गई पालन बैंक प्रत्याभूति जब्त की जाएगी:

(2) उप-खण्ड (1) के अंतर्गत विर्निदिष्ट समय सीमा को निम्नलिखित रूप में बढ़ाया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) जहां विलम्ब संबंधित व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर जैसे किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, सूखा पड़ने सहित, वर्ष में चीनी मौसम के न होने के दौरान गन्ने (कच्चा माल) के उपलब्ध न होने के कारण जिसमें नियत अवधि समाप्त होती हो और चीनी क्षेत्रों को वित्तीय-पोषण नहीं मिलता हो, मुख्य निदेशक (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत पांच वर्षों की नियत अवधि बीत जाने के बाद उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत नियत अवधि को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ा सकेंगे, परन्तु यह एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकेंगे:

परन्तु यह, कि ऐसे विस्तार प्रभावी कदम उठाने या चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के लिए, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, यदि आवश्यक समझा जाए, स्वीकृत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इसके आगे यह व्यवस्था दी गई है कि यदि औद्योगिक उत्पादन ऐसी बढ़ाई गई अवधि में आरंभ नहीं होता है तो खण्ड 6ख के उप-खण्ड (2) के अन्तर्गत बैंक प्रत्याभूति जब्त कर ली जाएगी:

(ख) जहां पर विलम्ब भूमि के उपयोग, पर्यावरण या अन्य इसी प्रकार के कारणों से न्यायालय में वादों से हुआ हो, जो कि औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर उद्भूत हुआ हो, वहां पांच वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद, उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत नियत अवधि को आरंभ में अगले दो वर्षों के लिए, परन्तु एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं, मुख्य निदेशक (शर्करा) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसा विस्तार प्रभावी कदम उठाने या चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के लिए, राज्य सरकार तथा विधि और न्याय मंत्रालय में विधि कार्य विभाग से यदि आवश्यक समझा जाए, परामर्श करके स्वीकृत किया जा सकेगा:

(ग) ऐसे मामले में जहां ऐसा विलम्ब, भूमि के उपयोग से संबंधित न्यायिक मामले, पर्यावरण या ऐसे अन्य कारण, जो मद (ख) के अन्तर्गत बढ़ाई गई अवधि के बाद भी जारी रहते हैं, मुख्य निदेशक (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जैसा उनको उचित लगे, ऐसी अगली अवधि को बढ़ाने के लिए एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं की, स्वीकृति दे सकेंगे बशर्ते कि बढ़ाने की मांगी गई अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए पचास लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति जमा की जाए, जो खण्ड 6(ख) के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत जमा कराई गई बैंक प्रत्याभूति के अलावा होगी:

परन्तु यह कि ऐसा विस्तार प्रभावी कदम उठाने या चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के लिए, राज्य सरकार तथा विधि और न्याय मंत्रालय में विधि कार्य विभाग से यदि आवश्यक समझा जाए, परामर्श करके स्वीकृत किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि वाणिज्यिक उत्पादन ऐसे किसी विस्तारित अवधि के एक वर्ष के अन्दर आरम्भ नहीं हो पाता, तो उस वर्ष के लिए जमा कराई गई 50 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति जब्त की जाएगी और यदि वाणिज्यिक उत्पादन किसी भी ऐसी विस्तारित अवधि के अन्दर आरम्भ नहीं होता है तो खण्ड 6(ख) के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत जमा कराई गई बैंक प्रतिभूति को भी जब्त किया जाएगा।

[फा. सं.27(4)2006-एस.टी./खण्ड.II.]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में आदेश सं. सा.का.नि. 1126 (अ). आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 के अधीन प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था:-

1. सा.का.नि.35/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 05.01.1967
2. सा.का.नि.1591/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17.10.1967
3. सा.का.नि.945/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18.05.1968
4. सा.का.नि.1456/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 02.08.1968
5. सा.का.नि.620(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 08.04.1970
6. सा.का.नि.402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25.09.1974
7. सा.का.नि.492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12.09.1975
8. सा.का.नि.542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27.10.1975
9. सा.का.नि.484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26.07.1976
10. सा.का.नि.799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13.09.1976
11. सा.का.नि.815(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.09.1976
12. सा.का.नि.913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 09.12.1976
13. सा.का.नि.62(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 02.02.1978
14. सा.का.नि.197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 28.03.1978
15. सा.का.नि.427(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 03.07.1981
16. सा.का.नि.79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.02.1982
17. सा.का.नि.695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 09.09.1983
18. सा.का.नि.903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.11.2000
19. सा.का.नि.113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20.02.2003
20. सा.का.नि.204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22.03.2004
21. का.आ.1940(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 10.11.2006
22. का.आ.1309(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 31.07.2007
23. का.आ.2198(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 08.12.2007
24. का.आ.2984(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.12.2008
25. का.आ.2665(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22.10.2009
26. का.आ.33(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 07.01.2010
27. सा.का.नि.2787(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.08.2016
28. का.आ.3093(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 30.09.2016
29. का.आ.3663(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26.07.2018

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 12th October, 2018

S.O. 5258(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely:-

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) (Second Amendment) Order, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, for clause 6C, the following clause shall be substituted, namely:-

"6C. Time limit for implementing Industrial Entrepreneur Memorandum-

(1) The stipulated time for taking effective steps as specified in Explanation 4 to clause 6A shall be three years and the commercial production of sugar shall commence within five years from the date of filing of the Industrial Entrepreneur Memorandum with the Central Government under sub-clause (1) of clause 6B failing which the Industrial Entrepreneur Memorandum shall stand de-recognized as provided in sub-clause (2) thereof, and the performance guarantee furnished there under shall be forfeited:

(2) The time limit specified under sub-clause (1) may be extended in the following manner, namely:-

(a) where the delay is due to any unforeseen circumstances beyond the control of the person concerned such as natural calamities including drought, non-availability of sugarcane (raw material) during off season in the year in which the stipulated period terminates and non-financing of sugar sectors, the Chief Director (Sugar), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution may, after the expiry of five years' period stipulated under sub-clause (1), extend the period stipulated under sub-clause (1) for a further period of two years, not exceeding more than a year at a time:

Provided that such extension may be granted for taking effective steps or for the commencement of commercial production of sugar, in consultation with the State Government concerned, if considered necessary:

Provided further that in case the commercial production does not commence within such extended period, the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B shall be forfeited;

(b) Where the delay is due to any court case relating to land use, environment or such other reason, that may have arisen within five years from the date of filing of Industrial Entrepreneur Memorandum, the Chief Director (Sugar), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution may, after the expiry of five years' period stipulated under sub-clause (1), extend the period stipulated under sub-clause (1) initially for a further period of two years, not exceeding more than a year at a time:

Provided that such extension may be granted for taking effective steps or for the commencement of commercial production of sugar, in consultation with the State Government concerned and the Department of Legal Affairs in the Ministry of Law and Justice, if considered necessary:

(c) in case where such delay due to court case relating to land use, environment or such other reason, continues beyond the period extended under item (b), the Chief Director (Sugar), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution may grant extension of such further period, as he deems fit, not exceeding more than a year at a time, subject to furnishing of a bank guarantee of rupees fifty lakhs for each year for which the extension is sought, which shall be in addition to the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B:

Provided that such extension may be granted for taking effective steps or for the commencement of commercial production of sugar, in consultation with the State Government concerned and the Department of Legal Affairs in the Ministry of Law and Justice, if considered necessary:

Provided further that in case the commercial production does not commence within any such extended period of one year, such bank guarantee of rupees fifty lakhs so furnished for that one year of extension shall be forfeited and if commercial production does not commence within any of such extended period, the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B shall also be forfeited."

[F. No. 27 (4)/2006-ST/Vol.II]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

Note:- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Order number G.S.R. 1126,(E), Ess. Com/Sugarcane dated the16th July, 1966 and was subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 35/Ess.Com/Sugarcane dated 05.01. 1967
2. G.S.R. 1591/Ess.Com/Sugarcane dated 17.10.1967
3. G.S.R. 945/Ess.Com/Sugarcane dated 18.05.1968
4. G.S.R.1456/Ess.Com/Sugarcane dated 02.08.1968
5. G.S.R.620(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 08.04.1970
6. G.S.R. 402(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 25.09.1974
7. G.S.R. 492(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 12.09.1975
8. G.S.R. 542(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 27.10.1975
9. G.S.R. 484(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 26.07.1976
10. G.S.R. 799(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 13.09.1976
11. G.S.R.815(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 24.09.1976
12. G.S.R. 913(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 09.12.1976
13. G.S.R.62(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 02.02.1978
14. G.S.R.197(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 28.03.1978
15. G.S.R.427(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 03.07.1981
16. G.S.R. 79(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 24.02.1982
17. G.S.R. 695(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 09.09.1983
18. G.S.R. 903(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 29.11.2000
19. G.S.R. 113(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 20.02.2003
20. G.S.R. 204(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 22.03.2004
21. S.O. 1940 (E) dated 10.11.2006
22. S.O.1309(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 31.07.2007
23. S.O.2198(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 08.12.2007
24. S.O.2984(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 29.12.2008
25. S.O.2665(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 22.10.2009
26. S.O.33(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 07.01.2010
27. G.S.R. 2787/Ess.Com/Sugarcane dated 24.08.2016
28. S.O.3093(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 30.09.2016
29. S.O.3663(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 26.07.2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.16 21:19:24 +05'30'